

(To be published in Part 1 Section 1 of Gazette of India)

Government of India
Ministry of Textiles

New Delhi, 15th February, 2022

ORDER

No. 16021/2/2021-TUFS Section: The Revised Guidelines of ATUFS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 was notified vide Revised Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 02.08.2018. The following modifications are hereby notified in the said Revised Resolution with the approval of Competent Authority:

Para	Existing provision	To be read as
Para 11.5	The IMSC will review the progress of the scheme on half yearly basis and ensure its effective implementation.	The IMSC will review the progress of the scheme on quarterly basis and ensure its effective implementation.
Para 3.2	Specifications of technology for the machinery for all the above segments would be prescribed annually in advance by the TAMC effective from 1 st April of the year.	Specifications of technology for machinery for all eligible segments would be prescribed w.e.f. the date of first request received from industry / unit/ industry association in the Office of Textile Commissioner for inclusion/consideration of the technology for machinery by the TAMC henceforth. Hence ITC (Internal Technical Committee of Office of the Textile Commissioner) while bringing its recommendation to the TAMC would refer clearly to the date of first request in context of specific machinery technology.
Para no. 6.2 (ii)	In case of consortium finance, date of loan sanction letter of the last lending agency in the consortium shall be the relevant date.	In case of consortium finance, in addition to invoices issued after term loan sanction by the last bank, if invoice date falls between 1 st term loan sanction date and the last term loan sanction date, then such invoices will be considered as eligible for subsidy claim provided full sanctions by all banks also are on record. It has to be ensured that full sanction is on record and due disbursements towards sourcing machinery have been made.

		While for purpose of UID, JIT etc., date of communication of last loan sanction letter by lending agency will be considered.
Para 10.1.12	The application will go to the concerned lending agency for verification of the project and loan details. Lending agency will verify the application against the loan documents available with them; upload copy of the final loan sanction order and sign off the verification with the digital signature of the authorized official of the lending agency. The lending agency will endeavor to complete the exercise within 2 months of receipt of the application.	<p>The application will go to the concerned lending agency for verification of the project and loan details. Lending agency will verify the application against the loan documents available with them; upload copy of the final loan sanction order and sign off the verification with the digital signature of the authorized official of the lending agency. Total time period is 90 days together for the unit and bank (no separate time line for unit and bank) for submission and forward of UID application to Office of Textile Commissioner/ iTUFS.</p> <p>For new applications, timeline for UID generation will be as follows: (a) For the units, 6 (six months) timeline for forwarding UID application to the bank from the date of sanction of term loan and (b) For banks, 90 (ninety days) timeline to submit the UID application to Office of Textile Commissioner/iTUFS from date of receipt from the unit.</p> <p>(The above modification will be effective from date of IMSC meeting i.e. 22nd October, 2021).</p>
Para 10.3.7:	The applicant will sign off JIT application with his digital signature. The request will go to the concerned Regional Office (RO) of Textile Commissioner. The Textile Commissioner will constitute Joint Inspection Teams (JIT) under ROs of the Textile Commissioner having members from the lending agencies, Industry and from the Textile Research Association to physically verify installation	The applicant will sign off JIT application with his digital signature. The request will go to the concerned Regional Office (RO) of Textile Commissioner. The Textile Commissioner will constitute Joint Inspection Teams (JIT) under Regional Offices of the Textile Commissioner. The composition of JIT will comprise 6 members (2 from Ministry of Textiles/ Associate bodies of Ministry of Textiles, 2 from Bankers/ lending agencies and 2 from Industry Association) and at

	<p>and commissioning of the machineries and recommend eligible subsidy amount to the entity. JIT has to complete physical inspection within 88 days of application for Joint Inspection.</p>	<p>any time any three of these members could certify the JIT report. JIT will verify installation and commissioning of the machineries as per the protocols laid down separately and recommend eligible subsidy amount to the entity. JIT has to complete the inspection within 88 days of application for Joint Inspection. (The above modification will be applicable for existing physical inspection by JIT and digital Inspection both)</p>
Para 10.4.1	<p>RO to upload report of JIT in iTUFS in 2 working days after the date of conduct of Joint Inspection with geo-tagged and time stamped photographs in iTUFS software. RO will also upload final copy of the invoice duly attested by him and sign off the verification with the digital signature.</p> <p>However, in cases involving technical issues in iTUFS hindering upload of requisite JIT documents, a relaxation of 3 days after expiry of due date of uploading JIT report may be given by Textile Commissioner subject to evidence submitted by System Engineer and after proper examination/ approval by Textiles Commissioner. A report on the number of such relaxation accorded by Textile Commissioner to be placed before IMSC in its meeting.</p>	<p>RO to upload report of JIT in iTUFS in 2 working days after the date of conduct Joint Inspection with geo-tagged and time stamped photographs in iTUFS portal. RO will also upload final copy of the invoice duly attested by him and sign off the verification with the digital signature.</p> <p>However, in cases involving technical issues in iTUFS hindering upload of requisite JIT documents, Textile Commissioner is authorized to accord relaxation maximum upto 7 days beyond the 2 days timeline for uploading JIT report based on acceptable evidence.</p>
Para 3.8:	<p>Accessories/ Attachments/ Sample machines/ spares received along with the machinery or procured from other manufacturers enlisted in the indicative list upto a value of 20% of the basic cost of the machinery will also be eligible for subsidy.</p>	<p>i. If accessories / spares for a particular machine are purchased from enlisted manufacturer(s), subsidy for these accessories / spares upto a value of 20% of the basic cost of the machinery will be considered under ATUFS.</p> <p>ii. If accessories / spares of a particular machine are purchased from non-enlisted manufacturer(s), subsidy for</p>

		<p>these accessories / spares upto a value of 5% of the basic cost of the machinery will be considered under ATUFS within the 20% limit earmarked for accessory.</p>
--	--	--

		<p>(The above modification will be applicable for the cases in which date of invoice is on or after 22nd October 2021)</p>
--	--	--



(Richa Gupta)

Deputy Secretary to the Government of India

ORDER

Ordered that the Order be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that copies of Order may be communicated to the concerned Ministries/Departments/Organisations.



(Richa Gupta)

Deputy Secretary to the Govt, of India

To,

The Manager
Government of India Press,
(Bharat Sarkar Press) Minto Road,
Barakhamba, New Delhi

(भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

आदेश

सं. 16021/2/2021-टीयूएफएस अनुभाग: दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक इसकी कार्यान्वयन अवधि के दौरान एटीयूएफएस के संशोधित दिशानिर्देश अर्थात् वित्तीय और परिचालन मानकों और कार्यान्वयन तंत्र को दिनांक 02.08.2018 को संशोधित संकल्प संख्या 6/5/2015-टीयूएफएस द्वारा अधिसूचित किया गया था। निम्नलिखित संशोधनों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उक्त संशोधित संकल्प में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:

पैरा	मौजूदा प्रावधान	इस प्रकार पढ़ा जाए
पैरा 11.5	आईएमएससी छमाही आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगा और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।	आईएमएससी तिमाही आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगा और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
पैरा 3.2	उपरोक्त सभी क्षेत्रों हेतु मशीनरी के लिए प्रौद्योगिकी के विनिर्देश टीएमसी द्वारा वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी टीएमसी द्वारा अग्रिम रूप में वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाएंगे।	सभी पात्र क्षेत्रों हेतु मशीनरी के लिए प्रौद्योगिकी की विशिष्टताएं अब से टीएमसी द्वारा मशीनरी के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करने/विचार करने के लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में उद्योग/इकाई/उद्योग संघ से प्राप्त पहले अनुरोध की तारीख से निर्धारित की जाएंगी। इसलिए आईटीसी (वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की आंतरिक तकनीकी समिति) टीएमसी को अपनी सिफारिश लाते समय विशिष्ट मशीनरी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पहले अनुरोध की तारीख को स्पष्ट रूप से संदर्भित करेगी।
पैरा सं. 6.2 (ii)	कंसोर्टियम वित्त के मामले में, कंसोर्टियम में अंतिम ऋणदाता एजेंसी के ऋण स्वीकृति पत्र की तारीख से प्रासंगिक तिथि होगी।	कंसोर्टियम वित्त के मामले में, अंतिम बैंक द्वारा आवधिक ऋण स्वीकृति के बाद जारी किए गए बीजक के अतिरिक्त, यदि बीजक की तारीख पहली आवधिक ऋण स्वीकृति तारीख और अंतिम अवधि ऋण स्वीकृति तारीख के बीच आती है, तो ऐसे बीजक को सब्सिडी के दावे के लिए पात्र माना जाएगा बशर्ते सभी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वीकृतियां रिकॉर्ड में हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूर्ण स्वीकृति रिकॉर्ड में हो और सोर्सिंग मशीनरी के लिए देय संवितरण किया गया हो जबकि यूआईडी, जेआईटी आदि के उद्देश्य के लिए, ऋणदाता एजेंसी द्वारा अंतिम ऋण स्वीकृति पत्र के पत्राचार की तारीख पर विचार किया जाएगा।

<p>पैरा 10.1.12</p>	<p>परियोजना के सत्यापन और ऋण विवरण के लिए आवेदन संबंधित ऋण एजेंसी के पास जाएगा। ऋण एजेंसी उनके पास उपलब्ध ऋण दस्तावेजों के सापेक्ष आवेदन का सत्यापन करेगी; अंतिम ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति अपलोड करना होगा और ऋण देने वाली एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सत्यापन पर हस्ताक्षर करेंगे।</p> <p>ऋण देने वाली एजेंसी आवेदन प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेगी।</p>	<p>परियोजना के सत्यापन और ऋण विवरण के लिए आवेदन संबंधित ऋण एजेंसी के पास जाएगा। ऋण एजेंसी उनके पास उपलब्ध ऋण दस्तावेजों के सापेक्ष आवेदन का सत्यापन करेगी; अंतिम ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति अपलोड करें और ऋण देने वाली एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सत्यापन पर हस्ताक्षर करें।</p> <p>वस्त्र आयुक्त/आईटीयूएफएस के कार्यालय को यूआईडी आवेदन जमा करने और अग्रेषित करने के लिए इकाई और बैंक (इकाई और बैंक के लिए कोई अलग समय सीमा नहीं है) के लिए कुल समय अवधि 90 दिनों की है।</p> <p>नए अनुप्रयोगों के लिए, यूआईडी सृजन हेतु समय-सीमा निम्नानुसार होगी:</p> <p>(क) इकाइयों के लिए, आवधि ऋण की मंजूरी की तारीख से बैंक को यूआईडी आवेदन अग्रेषित करने के लिए 6 महीने (छह महीने) की समय सीमा और</p> <p>(ख) बैंकों के लिए, इकाई से प्राप्त होने की तारीख से यूआईडी आवेदन को वस्त्र आयुक्त/आईटीयूएफएस के कार्यालय में जमा करने के लिए 90 (नब्बे दिन), दिन की समयसीमा।</p> <p>(उपरोक्त संशोधन आईएमएससी बैठक की तारीख अर्थात 22 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होंगे)।</p>
<p>पैरा 10.3.7:</p>	<p>आवेदक अपने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जेआईटी आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा। अनुरोध वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) के पास जाएगा। वस्त्र आयुक्त, आरओ के तहत संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) का गठन करेंगे जिसमें ऋण देने वाली एजेंसियों, उद्योग और वस्त्र अनुसंधान संघ के सदस्य होंगे, जो मशीनरी की स्थापना और कमीशनिंग को भौतिक रूप से सत्यापित करेंगे और इकाई को पात्र सब्सिडी राशि की सिफारिश करेंगे। संयुक्त निरीक्षण के लिए आवेदन करने के 88 दिनों के भीतर जेआईटी को भौतिक निरीक्षण पूरा करना होता है।</p>	<p>आवेदक अपने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जेआईटी आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा। अनुरोध वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) के पास जाएगा। वस्त्र आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) का गठन करेंगे। संयुक्त निरीक्षण दल के गठन में 6 सदस्य (2 वस्त्र मंत्रालय/सघों निकायों से, 2 बैंकों/ऋण देने वाली एजेंसियों से और 2 उद्योग संघ से) शामिल होंगे और इनमें से कोई भी तीन सदस्य किसी भी समय जेआईटी रिपोर्ट को प्रमाणित कर सकते हैं। जेआईटी अलग से निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मशीनरी की स्थापना और कमीशनिंग को सत्यापित करेगा और इकाई को पात्र सब्सिडी राशि की सिफारिश करेगा। संयुक्त निरीक्षण के लिए आवेदन करने के 88 दिनों के भीतर जेआईटी को निरीक्षण पूरा करना होता है। (उपरोक्त संशोधन जेआईटी द्वारा मौजूदा भौतिक निरीक्षण और डिजिटल निरीक्षण दोनों के लिए लागू होगा)</p>
<p>पैरा 10.4.1</p>	<p>आरओ आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में जियो-टैग और टाइम स्टॉप फोटो के साथ संयुक्त निरीक्षण के आयोजन की तारीख के बाद 2 कार्य दिवसों में आईटीयूएफएस में जेआईटी की रिपोर्ट अपलोड करेगा। आरओ अपने द्वारा सत्यापित बीजक की अंतिम प्रति भी अपलोड करेगा और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सत्यापन पर हस्ताक्षर करेगा।</p> <p>तथापि, आईटीयूएफएस में तकनीकी मुद्दों से जुड़े मामलों में अपेक्षित जेआईटी दस्तावेजों को</p>	<p>आरओ आईटीयूएफएस पोर्टल में जियो-टैग और टाइम स्टॉप फोटो के साथ संयुक्त निरीक्षण के आयोजन की तारीख के बाद 2 कार्य दिवसों में आईटीयूएफएस में जेआईटी की रिपोर्ट अपलोड करेगा। आरओ अपने द्वारा सत्यापित बीजक की अंतिम प्रति भी अपलोड करेगा और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सत्यापन पर हस्ताक्षर करेगा।</p> <p>तथापि, आईटीयूएफएस में तकनीकी मुद्दों से जुड़े मामलों में अपेक्षित जेआईटी दस्तावेजों के अपलोड में बाधा डालने वाले मामलों में, वस्त्र आयुक्त स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर जेआईटी रिपोर्ट अपलोड करने के लिए 2 दिनों की समय सीमा के बाद</p>

	<p>अपलोड करने में बाधा, जेआईटी रिपोर्ट अपलोड करने की नियत तारीख की समाप्ति के बाद 3 दिनों की छूट वस्त्र आयुक्त द्वारा दी जा सकती है, जो कि सिस्टम इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और वस्त्र आयुक्त द्वारा उचित जॉच /अनुमोदन के अधीन होगी। वस्त्र आयुक्त द्वारा दी गई इस तरह की छूट की संख्या पर एक रिपोर्ट आईएमएससी की बैठक में रखी जाएगी।</p>	<p>अधिकतम 7 दिनों तक छूट देने के लिए प्राधिकृत है।</p>
<p>पैरा 3.8:</p>	<p>सहायक उपकरण/संलग्नक/नमूना मशीन/मशीनरी के साथ प्राप्त पुर्जे या संकेतक सूची में सूचीबद्ध अन्य निर्माताओं से प्राप्त मशीनरी की मूल लागत के 20% मूल्य तक भी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।</p>	<p>i. यदि किसी विशेष मशीन के लिए सहायक उपकरण/पुर्जे सूचीबद्ध विनिर्माता से खरीदे जाते हैं, तो इन सहायक उपकरण/पुर्जे के लिए मशीनरी की मूल लागत के 20% तक की सब्सिडी पर एटीयूएफएस के तहत विचार किया जाएगा।</p> <p>ii. यदि किसी विशेष मशीन के सहायक उपकरण/पुर्जे को गैर-सूचीबद्ध विनिर्माता से खरीदा जाता है, तो इन सहायक उपकरणों/पुर्जे के लिए मशीनरी की मूल लागत के 5% मूल्य तक की सब्सिडी को एटीयूएफएस के तहत उपकरणों के लिए निर्धारित 20% की सीमा के भीतर माना जाएगा।</p> <p>(उपरोक्त संशोधन उन मामलों के लिए लागू होगा जिनमें बीजक की तारीख 22 अक्टूबर 2021 को या उसके बाद की है)</p>



(रिचा गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेशित किया जाता है कि आदेश को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रतिया संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों को भेजी जाएं।



(रिचा गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
(भारत सरकार मुद्रणालय)मिंटो रोड,बाराखंभा,
नई दिल्ली